



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21092026-276341
CG-DL-E-21092026-276341

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 37]
No. 37]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 9, 2026/भाद्र 18, 1948
NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 9, 2026/BHADRA 18, 1948

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2026

आ.अ. 37(अ).— यतः, असम राज्य से लोक सभा के लिए 09-नगांव संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचित श्री प्रद्युत बोरदोलोई की सीट उनके त्यागपत्र देने के परिणामस्वरूप दिनांक 20 मार्च, 2026 को रिक्त हो गई है; और

2. यतः, इस प्रकार उत्पन्न हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजनार्थ उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;

3. अब, इसलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 149 की उप-धारा (1), धारा 30 और धारा 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा:-

(क) असम राज्य के उक्त 09-नगांव संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि वह उक्त अधिनियम के उपबंधों और तद्विनिर्वाहक बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार लोक सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजनार्थ 11 अक्तूबर, 2026 (रविवार) के पहले एक व्यक्ति को निर्वाचित कर दे;

(ख) उक्त निर्वाचन के संबंध में, निम्नलिखित निर्धारित करता है,-

(क) 16 सितंबर, 2026 (बुधवार), नाम-निर्देशन करने की अन्तिम तारीख;

(ख) 17 सितंबर, 2026 (गुरुवार), नाम-निर्देशनों की संवीक्षा करने की तारीख;

- (ग) 19 सितंबर, 2026 (शनिवार), अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख;
- (घ) 6 अक्तूबर, 2026 (मंगलवार), वह तारीख जिस दिन, यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान कराया जाएगा; और
- (ङ) 11 अक्तूबर, 2026 (रविवार), वह तारीख जिससे पहले निर्वाचन सम्पन्न हो जाएगा; और
- (ग) पूर्वाह्न 7.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए ऊपर विनिर्दिष्ट तारीख को, मतदान कराया जाएगा।

[फा. सं. 100/एस-एचपी/1/2026]

आदेश से,

राजीव रंजन, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th September, 2026

O.N. 37(E).— WHEREAS, the seat of Shri Pradyut Bordoloi, in the House of the People elected from 09-Nagaon Parliamentary Constituency, in the state of Assam has become vacant on 20th March, 2026, consequent upon his resignation, and

2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. NOW, THEREFORE, in pursuance of sub-section (1) of Section 149, Section 30 and Section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby:

(A) calls upon the said 09-Nagaon Parliamentary Constituency in the State of Assam, to elect, before 11th October, 2026 (Sunday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the House of the People,

(B) appoints, with respect to the said election:-

(a) the 16th September, 2026 (Wednesday), as the last date for making nominations.

(b) the 17th September, 2026 (Thursday), as the date for the Scrutiny of nominations,

(c) the 19th September, 2026 (Saturday), as the last date for the withdrawal of candidatures,

(d) the 6th October, 2026 (Tuesday), as the date on which the poll shall, if necessary, be taken;

(e) the 11th October, 2026 (Sunday), as the date before which the election shall be completed;

and;

(C) fixes the hours from 7 A.M. to 5 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

[F. No. 100/AS-HP/1/2026]

By Order,

RAJIV RANJAN, Secy.